

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 129/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अध्यक्ष
<u>09/11/22</u>	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>08/12/22</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
<u>08/12/22</u>	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>बरडीहा</u> थाना नं० <u>294</u> खाता सं० <u>23</u> प्लॉट सं० रकबा <u>3.25</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>35</u> पर जमाबंदी रैयत <u>नथु</u> <u>भुरिया पित्त जमिन्दार</u> नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

अभिलेख दिनांक 24/2/22 को उपस्थापित करें।

24/12/12

अगिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में मात्र ब्यापन रवि 2005-6
का _____

अचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

07/02/23

अभिलेख उपस्थापित
राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा व्यसि मौजा नं० २१५ खाता सं० २३ प्लॉट सं० — रकबा १.६० किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष २००५-०६ ५० तक निर्गत है।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लारु हट-पुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण नुसु कुईया पिता, मीरात कुईया

जमाबंदीदार का नाम	मीजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
नुसु कुईया पिता	बुद्धरहा	0294	22	-	1604	310 क मा 10	
कुईया कुईया							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पत्थरी खेत।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- वर्ष मई/जून 11 में दर्ज किया

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

(मांग पंजी 11 में प्रारित न के पदाधिकारी से पदाधिकारी का नाम दर्ज करे)

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

(मांग कायम दर्ज होने का कोई सादर स्तुति नहीं है)

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

14/11

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संघारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अवैध जमाबंदी
से जमीन के
जमीन के
खारिज

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :- नहीं
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध नहीं
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- नहीं
प्रतिवेदन भूमि मंडल के कार्यालय से 22 फरवरी 1960 को भूमि मंडल पंजी
1 के फोन 351 पर नया भूदस्तावेज फिला-जीवन भूदस्तावेज के नाम से दर्ज है। भूमि मंडल में
कायम होने का कोई अंकित नहीं है। अंचल जमीन मंडल से भूमि मंडल के नाम से
नोटिस के माध्यम से संबंधित दस्तावेज का भूमि मंडल का पत्र भूमि मंडल
मिलने जाने तक भूमि मंडल के नाम से भूमि मंडल के दस्तावेज उधार
नहीं कराया गया। भूमि मंडल में फिल्टर दर्ज नहीं है जिसके कारण भूमि मंडल
खारिज से मिलान नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भूमि मंडल के नाम से
का दस्तावेज स्पष्ट नहीं है। इसलिए उक्त जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है।
अतः प्रतिवेदन अग्रोत्तर कावर्ड हेतु आया जाता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :- नहीं

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन
का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द
करने की अनुशंसा किया जा सकता है।
नहीं

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
छतरपुर। छतरपुर। छतरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- नरु बुईया 810 जीतन बुईया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं. 25/1 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
बुईया	0254	23	-	1.60 24

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मांग काल दूर होने का कोई प्रमाण नहीं है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- अंठ मठ मां
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई भी सक्षम प्राधिकारी का आदेश स्पष्ट नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- मांशुभाकर होने का कोई प्रमाण नहीं है

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- N/A
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	3563654	05-08-05	2005-06-30

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 129 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम मधु भुईयां

पिता- जीवन भुईयां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बुरडी/61 थाना नं० 20¹ 4
खाता सं० 23 खेसरा नं० — रकबा 325 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० V के पंजी-II भाग 1 के पृष्ठ 35 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।




08/12/22
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

कि मंदीप उर्फ
62070/2769
दस्तावेज